कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 4

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		773.50	86.52	860.02	699.50	86.52	786.02	858.50	86.32	944.82
पूंजी		*0.50*	*1.11*	*1.61*	*0.50*	*1.11*	*1.61*	*0.50*	*1.31*	*1.81*
जोड़		**774.00**	**87.63**	**861.63**	**700.00**	**87.63**	**787.63**	**859.00**	**87.63**	**946.63**
1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना	2851	200.25	...	200.25	199.58	...	199.58	196.65	...	196.65
खादी तथा ग्रामोद्योग										
2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
2.01 खादी उद्योग	2851	86.35	55.40	141.75	86.35	55.54	141.89	100.35	55.45	155.80
2.02 अन्य ग्रामोद्योग	2851	31.55	1.00	32.55	12.55	1.00	13.55	35.10	1.00	36.10
	जोड़	*117.90*	*56.40*	*174.30*	*98.90*	*56.54*	*155.44*	*135.45*	*56.45*	*191.90*
3. नारियल जटा उद्योग	2851	15.20	2.76	17.96	16.27	2.62	18.89	21.00	2.51	23.51
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	6851	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.30	0.30
	जोड़	*16.20*	*2.86*	*19.06*	*17.27*	*2.72*	*19.99*	*22.00*	*2.81*	*24.81*
4. ब्याज संबंधी सब्सिडी										
4.01 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खादी उद्योग)	2851	17.10	22.00	39.10	17.10	22.00	39.10	17.10	22.00	39.10
4.02 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (अन्य ग्रामोद्योग)	2851	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86
	जोड़	*21.60*	*27.36*	*48.96*	*21.60*	*27.36*	*48.96*	*21.60*	*27.36*	*48.96*
5. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	248.00	...	248.00	291.60	...	291.60	369.95	...	369.95
6. राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम	2851	0.45	...	0.45	0.05	...	0.05	0.45	...	0.45
7. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आयोजना-भिन्न ऋण	6851	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01
ग्रामीण और लघु उद्योग										
8. परम्परागत उद्योगें के आधुनिकीकरण के लिए निधियां	2851	100.00	...	100.00	1.00	...	1.00	27.00	...	27.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	69.10	...	69.10	69.50	...	69.50	85.40	...	85.40
	4552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*69.60*	*...*	*69.60*	*70.00*	*...*	*70.00*	*85.90*	*...*	*85.90*
कुल जोड़		***774.00***	***87.63***	***861.63***	***700.00***	***87.63***	***787.63***	***859.00***	***87.63***	***946.63***

ग आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	704.40	...	704.40	630.00	...	630.00	773.10	...	773.10
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	69.60	...	69.60	70.00	...	70.00	85.90	...	85.90
जोड़		**774.00**	**...**	**774.00**	**700.00**	**...**	**700.00**	**859.00**	**...**	**859.00**

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई): शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से प्रचालनाधीन है। इस स्कीम का उद्देश्य उद्योग, सेवा और कारोबार क्षेत्र में स्व-रोजगार के कार्य संस्थापित करने के लिए पात्र युवाओं को सहायता देना है ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने में वित्तीय और अन्य उद्यमिता विकास सहायता प्रदान करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार सृजन की एक मुख्य केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में उभरी है।

यह स्कीम 16.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 11 लाख लघु उद्यम स्थापित करने के योजना लक्ष्य के साथ 10वीं योजना से जारी है। वर्ष 2003-04 के दौरान 2,20,000 के योजना लक्ष्य की तुलना में स्वीकृत मामलों की संख्या 2,55,262 (अनन्तिम) हैं। वर्ष 2004-05 के लिए 2,50,000 मामलों का आयोजना लक्ष्य रखा गया है।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग: आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन ग्रामीण जनता के लिए अधिक रोजगर सृजित करने की दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार करने; उनके आयोजन और कार्यान्वयन के लिए की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को त्यौहार के मौसम के दौरान पोलीवस्त्र सहित खादी और खादी उत्पादों पर छूट प्रदान करने के लिए, परिसरों की खरीद/किराए पर लेने, विज्ञापन और प्रचार, नए डिजाइन आदि लागू करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

3. जूट उद्योग: इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जूट उत्पादों के संवर्धन सहित देश में क्वायर उद्योग के विकास का संवर्धन करना है। इस प्रावधान में क्वायर उद्योगों के सहकारीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीमों, क्वायर उत्पादों पर छूट तथा क्वायर उद्योग के आधुनिकीकरण की स्कीम और क्वायर बोर्ड के प्रशासनिक व्यय के लिए निधियां भी शामिल हैं।

4. ब्याज संबंधी-सब्सिडी: आयोग को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी उद्योगों और अन्य ग्रामोद्योगों के लिए प्राप्त किए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

5. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी): इस कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है। 10वीं योजनावधि के दौरान 20 लाख की बजाय 25 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य संशोधित किया गया है। वर्ष 2003-2004 के दौरान 24747 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है तथा 4.71 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

6. ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम: यह प्रत्येक वर्ष देश में 100 ग्रामीण औद्योगिक समूह स्थापित करने की व्यवस्था करता है ताकि यह गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके और ग्रामीण कारीगरों के शहरों/नगरों में पलायन को कम किया जा सके। समूहों के विकास की कुछ कमियों को पूरा करने के लिए 5.00 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को आयोजना-भिन्न ऋण: इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने के लिए प्रावधान है।

8. पारम्परिक उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां: यह प्रावधान कयर, हथकरघा, पावरलूम, वस्त्र, रबड़, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, रेशमकीट पालन, ऊन विकास, चमड़ा, बर्तन निर्माण और अन्य कुटीर उद्योगों जैसे पारम्परिक उद्योगों को पुनरूज्जीवित करने के लिए है।

9. इसमें सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु एकमुश्त प्रावधान किया गया है।